प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) एक ऐसी शासनिक व्यवस्था है जो सरकार एवं जनता के बीच सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल शासन को सुनिश्चित करती है और छीजत को दूर करने, देरी को कम करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए लाभार्थियों का हक़ सीधे बैंक खातों में प्रदान करती है ।

अप्रैल 2017 से जुलाई 2020 की अवधि को सम्मिलित करने वाले इस प्रतिवेदन में दो चयनित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से संबंधित 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं ।

निष्पादन लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है ।